न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 194/2018

अनवान :

1. रामनिवास पुत्र रिछपाल सिंह जाति कुम्हार निवासी गांव उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. रिछपाल सिंह पुत्र नत्थुराम जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रिछपाल सिंह जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास।
3. तारादेवी
4. बालादेवी
5. रामबाई

   } पुत्रियान रिछपाल सिंह जाति कुम्हार निवासीगण उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अजीतपुरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेश बैनीवाल **: वादी**

वकील श्री विरेन्द्र बैनीवाल **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 07-8-19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 417/362 के खसरा सं0 726/333 की 0.5690 है0 खसरा सं0 767/333 की 3.3090 है0 कुल 3.8780 है0 प्रतिवादी सं0 1 रिछपाल सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है एवं रोही मौजा उतरादाबास के खाता सं0 118/108 खसरा सं0 114 की 0.9230 है0 में प्रतिवादी 1 रिछपाल के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो प्रतिवादी सं0 1 रिछपाल को अपने पिता नत्थुराम से विरासतन प्राप्त हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रक व दादालाई सम्पति है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 रिछपाल के साथ साथ वादी रामनिवास व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का जन्म से हक व हिस्सा है, किन्तु कर्ता खानदान होने के कारण अकेले प्रतिवादी सं0 1 रिछपाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रतिवादीया सं0 3 ता 5 वादी व प्रतिवादी सं0 2 की बहने है जिन्होने अपने भाईयों वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में अपने हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया है व प्रतिवादी सं0 1 ने भी अपने हिस्सा की कृषि भूमि का अपने पुत्रों रामनिवास व सुरेन्द्र कुमार के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इस प्रकार प्रतिवादी रिछपाल सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज उपर वर्णित खातेदारी में वादी व प्रतिवादी सुरेन्द्र सिंह बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हो गये है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने

आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 6 व 7 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में रामनिवास पुत्र रिछपाल सिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम भनाई खाता सं0 417/362 सम्वत् 2074 – 77 प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम उतरादाबास खाता सं0 118/108 सम्वत् 2071 – 74 प्रदर्श 3, फोटो प्रतिलिपि प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम उतरादाबास सम्वत् 2051 प्रदर्श 4, फोटो प्रतिलिपि प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम भनाई सम्वत् 2054 से 57 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादिया सुनी गई। दौराने बहस वकील वादिया ने अपनी बहस में कथन किया कि कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रक व दादालाई सम्पति है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 रिछपाल के साथ साथ वादी रामनिवास व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का जन्म से हक व हिस्सा है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा ग्राम उतरादाबास व भनाई के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने वाद की पुष्टि में जो प्रदर्शित करवाई है उनमें वाद भूमि वादी के दादा नत्थु के नाम दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि पैत्रक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में रिछपाल सिंह के वारिसान में पत्नी ज्याना देवी, दो पुत्र रामनिवास, सुरेन्द्र कुमार व तीन पुत्रियां तारा देवी, बाला देवी, रामबाई होना व इनके अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 417/362 के खसरा सं0 726/333 की 0.5690 है0 खसरा सं0 767/333 की 3.3090 है0 कुल 3.8780 है0 प्रतिवादी सं0 1 रिछपाल सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है एवं रोही मौजा उतरादाबास के खाता सं0 118/108 खसरा सं0 114 की 0.9230 है0 में प्रतिवादी 1 रिछपाल के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 रिछपाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी रामनिवास 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 सुरेन्द्र कुमार 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1, 3 ता 5 ने वाद कृषि भूमि में से अपने हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है, इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही कृषि भूमि उपरोक्तानुसार वादी के नाम 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07-8-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठांसीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 194/2018

अनवान :

1. रामनिवास पुत्र रिछपाल सिंह जाति कुम्हार निवासी गांव उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. रिछपाल सिंह पुत्र नत्थुराम जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रिछपाल सिंह जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास।
3. तारादेवी
4. बालादेवी
5. रामबाई } पुत्रियान रिछपाल सिंह जाति कुम्हार निवासीगण उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अजीतपुरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थित में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 417/362 के खसरा सं0 726/333 की 0.5690 है0 खसरा सं0 767/333 की 3.3090 है0 कुल 3.8780 है0 प्रतिवादी सं0 1 रिछपाल सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है एवं रोही मौजा उतरादाबास के खाता सं0 118/108 खसरा सं0 114 की 0.9230 है0 में प्रतिवादी 1 रिछपाल के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 रिछपाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी रामनिवास 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 सुरेन्द्र कुमार 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1, 3 ता 5 ने वाद कृषि भूमि में से अपने हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है, इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही कृषि भूमि उपरोक्तानुसार वादी के नाम 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 7-8-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)